कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

संं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 145/2017-18/

दिनांक : /03/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी

नगर पंचायत, केलाखेड़ा

जनपद- उधम सहं नगर

वषय : नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद- उधम सहं नगर वर्ष 2013-14 से 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 04 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं**0:** स्था**0**नि**0/**प्रतिवेदन संख्या-145/2017-18**/** दिनांक : **/**03**/201**7

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एन.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अंकित बंसल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **16.01.2014** से **23.01.2014** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2010-11** से **2012-13** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **4.98 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **10,929**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **28 (2013-14 से 2016-17 तक)**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **नियमित – 10, दैनिक/संविदा पर – 15**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **01 कार्यालय भवन, 47 दुकानें तथा 01 बारातघर |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)										
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
										समस्त धनराशि (`) में
वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना (NP)**		**गैर स्थापना (P)**		**अवशेष**			
							स्थापना (NP)		**गैर स्थापना (P)**	
	स्थापना (NP)	**गैर स्थापना (P)**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2014-15	1539608	2400095	11550495	12056248	1665000	1110000	0	1033855	0	2955095
2015-16	1033855	2955095	11805285	11164608	128512500	47360890	0	1674532	0	84106705
2016-17	1674532	84106705	13251515	12283813	6299000	65079188	0	2642234	0	25326517
कुल योग			**36607295**	**35504669**	**136476500**	**113550078**				

भाग-I. 2(ii)(अ)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	1060000	1060000	1060000	0
2	राज्य वित्त आयोग	355602	9583000	9938602	9302820	635782
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	0	1872000	1872000	0	1872000
6	पर्यटन विकास योजना	528095	0	528095	0	528095
7	राजीव आवास योजना	0	0	0	0	0
8	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	581709	2237732	2819441	1915615	903826
	कुल योग	**1465406**	**14752732**	**16218138**	**12278435**	**3939703**
--						

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	1665000	1665000	1110000	555000
2	राज्य वित्त आयोग	635782	9583000	10218782	10091570	127212
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
5	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1872000	0	1872000	0	1872000
6	पर्यटन विकास योजना	528095	0	528095	0	528095
7	राजीव आवास योजना	0	0	0	0	0
8	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	903826	1967495	2871321	1964678	906643
	कुल योग	**3939703**	**13215495**	**17155198**	**13166248**	**3988950**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	555000	1599000	2154000	2154000	0
2	राज्य वित्त आयोग	127212	9583000	9710212	9710212	0
3	अवस्थापना विकास निधि	0	2700000	2700000	2700000	0
4	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	0	22500	22500	10260	12240
5	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1872000	0	1872000	0	1872000
6	पर्यटन विकास योजना	528095	0	528095	0	528095
7	राजीव आवास योजना	0	124191000	124191000	42496630	81694370
8	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	906643	2222285	3128928	1454396	1674532
	कुल योग	**3988950**	**140317785**	**144306735**	**58525498**	**85781237**
--						

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2936000	2936000	1340734	1595266
2	राज्य वित्त आयोग	0	9583000	9583000	9245057	337943
3	अवस्थापना विकास निधि	0	1435000	1435000	1435000	0
4	स्वच्छ भारत मिशन- आई.ई.सी.	12240	15000	27240	5400	21840
5	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1872000	0	1872000	0	1872000
6	पर्यटन विकास योजना	528095	0	528095	0	528095
7	राजीव आवास योजना	81694370	1913000	83607370	62298054	21309316
8	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1674532	3668515	5343047	3038756	2304291
	कुल योग	**85781237**	**19550515**	**105331752**	**77363001**	**27968751**
--						
लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	1665000	1665000	1110000	555000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	555000	1599000	2154000	2154000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2936000	2936000	1340734	1595266
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	22500	22500	10260	12240
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	12240	15000	27240	5400	21840
--						

<u>भाग II-'ब '</u>

प्रस्तर 1 : इकाई द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को `72,180/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

इकाई द्वारा ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2018) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान दिये गये विभिन्न प्रकार के ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `72,180/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई थी | इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों से स्टाम्प शुल्क की बकाया धनराशि `72,180/- को वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विभिन्न ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण शासन को **`72,180/-** के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर द्वारा दिये गए विभिन्न ठेकों पर ठेकेदारों से कम वसूली गई स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	ठेके का स्थान	ठेके की अवधि	ठेके की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	हाठबाजार	श्री नवाब अली पुत्र श्री अल्ताफ हुसैन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	660000	13200	0	13200
2	मंगल बाजार	श्री नवाब अली पुत्र श्री अल्ताफ हुसैन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	50000	1000	0	1000
3	तहबाजारी	श्री शकील खाँ पुत्र श्री सईद अहमद खाँ	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.13 से 31.03.14	65000	1300	0	1300
4	हाठबाजार	श्री दानिश खाँ पुत्र श्री जद्दन खाँ	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 31.03.15	831000	16620	100	16520
5	मंगल बाजार	श्री गामा पुत्र श्री फिदा हुसैन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 31.03.15	61000	1220	100	1120
6	तहबाजारी	श्री दानिश खाँ पुत्र श्री जद्दन खाँ	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 31.03.15	105000	2100	100	2000
7	हाठबाजार	श्री बच्छन खाँ पुत्र श्री अमीरजान खाँ	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	712000	14240	0	14240
8	मंगल बाजार	श्री गामा पुत्र श्री फिदा हुसैन	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	67000	1340	0	1340
9	तहबाजारी	श्री वाजिद अली पुत्र श्री अब्दुल हमीद	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	65000	1300	0	1300
10	हाठबाजार	श्री बच्छन खाँ पुत्र श्री अमीरजान खाँ	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	870000	17400	100	17300
11	मंगल बाजार	श्री जाकिर पुत्र श्री सददीक अहमद	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	82000	1640	100	1540
12	तहबाजारी	श्री वली अहद पुत्र श्री सईद अहमद	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	66000	1320	0	1320
				कुल योग	**3634000**	**72680**	**500**	**72180**

भाग दो - "ब"

प्रस्तर 2: विभागीय शिथिलता के कारण इकाई पर स्वीकृति से अधिक ` 45.38 लाख के अतिरिक्त कार्यो की देयता का सृजन ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 3 के नियम संख्या 29 में निर्माण कार्य की कार्यविधि को वर्णित किया गया है। नियम संख्या 29(तीन) के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन, 29(चार) के अनुसार वित्तीय संस्वीकृति व 29(छः) के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति प्राप्ति की जानी चाहिए। नियम संख्या 30(1) के अनुसार कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय अथवा इससे संबन्धित दायित्व लिया जाय जब (क) सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो (ख) बजट की उपलब्धता हो एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो, (ग) उपयुक्त विस्तृत डिजाइन अनुमोदित हो।

नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद उधम सिंह नगर के राज्य वित्त आयोग से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 में आबंटित/आदेशित किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान दिसम्बर 2016/जून 2017 में किया गया था। उक्त कार्यों का विवरण निम्नवत है: -

क्र.	कार्य का नाम	आगणन/स्वीकृत धनराशि	अनुबंध की धनराशि	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि	अनुबंध एवं प्रस्तुत बिल की धनराशि का अंतर	अनुबंध के सापेक्ष प्रस्तुत बिल की धनराशि में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्यादेश की तिथि एवं कार्य पूर्ण की अवधि
1.	जमील अंसारी के घर से अफसर अली हाजी के घर तक साथ की गलियों सहित सी सी सड़क व नाली निर्माण कार्य (वार्ड – 6)	1097000/-	1088773/-	2081973/-	1088773.00 (02/12/16)	993200/-	**91.22%**	**18/09/12 02 माह**
2.	अफसर अली हाजी के मकान से नन्हें कुरैशी के घर तक साथ की गलियों सहित सी सी सड़क व नाली निर्माण कार्य (वार्ड – 6)	936000/-	928512/-	2491512/-	928512/- (02/12/16 & 19/06/17)	1563000/-	**168.33%**	**18/09/12 02 माह**
3.	शोभाराम के मकान से शकील के मकान तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (वार्ड-2)	183000/-	181353/-	957055/-	181353/- (19/06/17)	775702/-	**427.73%**	**18/09/12 02 माह**
4.	एन.एच. रोड से मुन्ना बाल्मीकि के मकान तक सी सी सड़क व नाली निर्माण कार्य (वार्ड –2)	399000/-	396407/-	1234603/-	396407/- (19/06/17)	838196/-	**211.45%**	**18/09/12 02 माह**
5.	वार्ड न. 01 में लंकुरा रोड पर सिंचाई नहर से मोती मशीत तक नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य	718000/-	706512/-	1073917/-	706512/- (08/02/17)	367405/-	**52%**	**21/02/13 02 माह**
	योग =	**3333000/-**	**3301557/-**	**7839060/-**	**3301557/-**	**4537503/-**		

उपरोक्त कार्यों हेतु निर्गत कार्यादेशों के अनुसार ठेकेदार को कार्यदेशों की प्राप्ति के तीन के अंदर अनुबंध गठित कर कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, नहीं की दशा में निविदाएँ निरस्त की जानी थी। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृत निविदा के अंतर्गत ही संपादित किए जाने थे एवं किसी भी दशा में स्वीकृत निविदा से अधिक धनराशि का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जाना आदेशित था। कार्यालय आदेशों के अनुसार अवर अभियंता न. पा. प. काशीपुर/न. पं. केलाखेड़ा को उपरोक्त कार्यों को अपनी देख-रेख में स्वीकृत निविदा के अंतर्गत सम्पन्न करवाने हेतु आदेशित किया गया था। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा एवं ठेकेदार के मध्य गठित अनुबंध के (बिन्दु संख्या 4) के अनुसार – ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले कार्य के बावत आवश्यक हिदायत अवर अभियंता व अधिशासी अधिकारी से प्राप्त करेगा एवं बिन्दु संख्या 8 के अनुसार कार्य की अवधि 02 माह होगी, अगर उपरोक्त समय के अंदर ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त न किया गया तो `500/- प्रतिदिन पेनाल्टी ठेकेदार को उस समय तक देनी होगी जिस समय तक कार्य संतोषजनक ढंग से अंतिम रूप से समाप्त न हो जाय। नगर पंचायत केलाखेड़ा को ऐसी हालत में यह भी अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष का ठेका समाप्त करके कार्य किसी अन्य ठेकेदार या स्वयं अथवा किसी एजेंसी से करा ले ऐसा करने में जो हानि द्वितीय पक्ष को होगी उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष (ठेकेदार) पर होगा। कार्य सम्पन्न होने की अवधि को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत केलाखेड़ा को होगा परन्तु ऐसा प्रथम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर हो सकेगा।

उपरोक्त पत्रावलियों में अनुबंध गठित किए जाने, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य समाप्त होने, कार्य मापन आदि की तिथियों का अंकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता द्वारा तैयार किए गए पुनरीक्षित/संशोधित आगणन में भी कोई तिथि अंकित नहीं की गयी थी जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि निर्माण कार्य कब शुरू किया गया, कब समाप्त हुआ एवं कार्य समय पर पूर्ण हुआ अथवा नहीं?साथ ही विभागीय अभियंता के द्वारा निर्माण अवधि के दौरान निरीक्षण संबंधी कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त कार्यों हेतु ठेकेदार के साथ गठित अनुबंधों के अनुसार धनराशि ` **3301557/-**में कार्यों को पूर्णकिया जाना था जिसके सापेक्ष ठेकेदार द्वारा ` 7839060/- धनराशि के कार्य किए जाने के बिल प्रस्तुत किए गए थे एवं इकाई द्वारा ठेकेदार को लेखापरीक्षा तिथि तक ` **3301557/- (आवश्यक कटौतियों सहित)** का भुगतान किया जा चुका था।उपरोक्त कार्यों हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्यों के लागत में स्वीकृत निविदा धनराशि से **52%** से **427.73%** तक की वृद्धि हुयी थी जिसके कारण नगर पंचायत पर ` **45.38 लाख** धनराशि की देयता का सृजन हुआ था। कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए गए थे उसके उपरांत भी इकाई द्वारा ठेकेदार से अनुबंध के अनुसार विलंब हेतु कोई पेनाल्टी भी नहीं ली गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण होने की कोई सूचना इकाई को नहीं दी गयी थी। कार्यों में **52%** से **427.73%** वृद्धि के संबंध में भी अवर अभियंता एवं ठेकेदार ही जिम्मेदार थे उनके द्वारा इस संबंध में इकाई को कोई सूचना नहीं दी गयी एवं कार्यो के पुनरीक्षण के संबंध में इकाई द्वारा ठेकेदार को कोई निर्देश नहीं दिये गए थे। विभागीय अभियंता द्वारा **09/07/2015** को ठेकेदार के बिल एवं संबन्धित पत्रावलियाँ कार्यालय में प्रस्तुत की गयी थी। विभागीय अभियंता एवं ठेकेदार श्री नवाव अली से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जो आतिथि तक अप्राप्त है। संबन्धित अभियंता द्वारा पत्रावलियों को विलंब से प्रस्तुत करने एवं अनुबंध/आगणन के विपरीत कार्य किए जाने के कारण भुगतान स्वीकृत निविदाओं के सापेक्ष बोर्ड प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरांत किया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों की समय पर कार्य- प्रगति जांच नहीं की गयी थी जिससे कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कब पूर्ण किया गया, कार्य की गुणवत्ता आदि जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कार्य में विचलन/बदलाव कर एवं कार्य विलंब से पूर्ण किया गया था जिसके कारण स्थानीय जनता को उक्त कार्यों का लाभ समय से नहीं मिल पाया था जिसके लिए ठेकेदार पर कोई विलंब शुल्क भी आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा धनराशि ` **3301557/- के स्वीकृत** कार्यों के सापेक्ष ठेकेदार को लेखापरीक्षा तिथि तक ` **3301557/-** का भुगतान किए जाने के उपरांत भी नगर पंचायत पर ` **45.38 लाख** धनराशि की देयता का सृजन हुआ था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 3 : गृहकर एवं दुकान किराये की वसूली ` 8.36 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी 2018) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

(धनराशि ` में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	353859	309890	663749	62855 **(9%)**	600894
02.	2015-16	600894	309890	910784	339645 **(37%)**	571139
03.	2016-17	571139	309890	881029	123465 **(14%)**	757564

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

(धनराशि ` में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	0	0	0	0	0
02.	2015-16	0	19000	19000	0	19000
03.	2016-17	19000	83500	102500	24500 **(24%)**	78000

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`8.36 लाख {(गृहकर `7.58 लाख+दुकान किराया `0.78 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **09** से **37** प्रतिशत तथा दुकान किराये के रूप में केवल **24** प्रतिशत की ही वसूली की गई है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | पूर्ण वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में निरन्तर कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `8.36 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो - "ब"

प्रस्तर 4: विशेष परियोजना सहायता के अंतर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना हेतु प्राप्त धनराशि `18.72 लाख का अवरुद्ध रहना।

नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 के आलोक्य में नगर पंचायत के ठोस अपशिष्ट के हथालन के लिए `**46.24 लाख**धनराशि की परियोजना (डी.पी.आर.) तैयार की गयी थी। इकाई द्वारा तैयार की गयी डी.पी.आर. में `**19.50 लाख**की अनुमानित धनराशि सिविल निर्माण कार्यों (**सेग्रीगेशन हाल,नैड़ेफ़ पिट एवं ट्रान्सफर स्टेशन**) हेतु प्रावधानित की गयी थी।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 151/IV(2)-श. वि. -04 (सा.)-2013 दिनांकित 25 मार्च 2013 के अनुसार विशेष योजनागत सहायता के अंतर्गत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाते हुये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गयी थी। तदनुसार नगर पंचायत केलाखेड़ा को निदेशक, शहरी विकास उत्तराखंड के पत्रांक 1052/श. वि. नि./वि.यो.स./ठो.अ.यो./13 दिनांकित 09 अगस्त 2013 के माध्यम से ` **18.72 लाख** की धनराशि (बैंक ड्राफ्ट संख्या 414210 दिनांकित 30/07/13) निम्न शर्तो के साथ अवमुक्त की गयी थी: -

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासनादेश 151/IV(2)-श. वि. -04 (सा.)-2013 दिनांकित 25 मार्च 2013 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों के पूर्णतया पालन करते हुये शासन एवं निदेशालय को कृत कार्यवाही से नियमानुसार अवगत कराया जाए।
2. उक्त योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का प्रतिमाह वित्तीय एवं भौतिक उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन एवं निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उक्त के क्रम में निकाय एवं निदेशालय के मध्यम हुये द्विपक्षीय अनुबंध का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के क्रम में दिनांक **10 जून 2013** को शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड एवं नगर पंचायत केलाखेड़ा के मध्य द्विपक्षीय अनुबंध गठित किया गया था जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा मुहैया करवाने के लिए संबन्धित नगर निकाय पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी एवं योजना को 31 मार्च 2014 से पहले पूर्ण करेगी। नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय विवरण एवं संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त योजना हेतु डी.पी.आर. बनाने एवं शासन से धनराशि प्राप्ति के **चार वर्ष** से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया था एवं प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय नहीं किया गया था। फलस्वरूप सम्पूर्ण धनराशि इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध पड़ी थी एवं आम जनता को उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि डी. पी. आर. भूमि की उपलब्धता की प्रत्याशा में तैयार की गयी थी परंतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण स्थानीय लोगों की मांग पर उनके प्लाटों में एवं शहर के बाहर गड्ढो में किया जा रहा है। उक्त धनराशि के अवरुद्ध रहने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि इस संबंध में शासन से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा डी. पी. आर. बनाते समय शासन को भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया गया था जिसके उपरांत ही शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

अतः नगर पंचायत द्वारा विशेष परियोजना सहायता के अंतर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन योजना हेतु प्राप्त धनराशि `18.72 लाख का चार वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी इकाई के बैंक खातों में अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2013-14** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **08 फरवरी 2018** से **13 फरवरी 2018** तक संपादित की गयी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि. 401/2013-14/1420 दिनांकित 25.07.2014	प्रस्तर संख्या 01	प्रस्तर संख्या 03 से 01	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्थाप्रतिवेदन/.नि. संख्या-401/2013-14/1420 दिनांकित 25.07.2014		इकाई द्वारा उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

(घ) विगत नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था/.नि.401 /ULB/2014 -15/1356 दिनांकित 17.07.2014	**TAN-1:** इकाई द्वारा डाक टिकट रजिस्टर का न बनाया जाना।	इकाई द्वारा डाक टिकट रजिस्टर बना लिया गया है। साक्ष्य स्वरूप डाक टिकट पंजिका लेखापरीक्षा को प्रस्तुत। अतः साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।	
	TAN-5: इकाई द्वारा मृतक आश्रित श्री हिमांशु चौधरी, सावेद खाँ, प्रमोद कुमार की सेवा पुस्तिकाओं का न बनाया जाना।	इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर में लिखित सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ बना ली गई हैं। समस्त सेवा पुस्तिकाएँ लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत की गईं। अतः साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।	
	TAN-6: इकाई द्वारा श्रीमती सोनावती, श्री लाजार तथा श्री मंगलसेन की सेवा पुस्तिकाओं में वित्तीय वर्ष के 2009 उपरान्त प्रविष्टियाँ न किया जाना।	इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर में लिखित सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ में समस्त प्रविष्टियाँ अद्यतन कर दी गई हैं। समस्त सेवा पुस्तिकाएँ लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत की गईं। अतः साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्योंअभिलेखों के / आधार पर उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

सामान्य

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री फईम खान	अधिशासी अधिकारी	28.09.27 से 12.04.तक 16
02.	श्री सुदेश चन्द्र	प्रभारी अधिशासी अधिकारीतहसीलदार/	27.04.25 से 16.05.तक 16
03.	श्री अश्विनी कुमार सक्सेना	अधिशासी अधिकारी	25.05.14 से 16.06.तक 16
04.	श्री मोहम्मद इस्लाम	अधिशासी अधिकारी	14.06.19 से 16.01.तक 18
05.	श्री महेश चन्द्र शर्मा	अधिशासी अधिकारी	24.01.से वर्तमान तक 18
		अध्यक्ष	
01.	श्री मोहम्मद सफ़ी अंसारी	अध्यक्ष	05.05.से वर्तमान तक 13

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केलाखेड़ा, जनपद-ऊधमसिंह नगर** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/54 दिनांकित 15.02.2018 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकार/स्थानीय निकाय